



भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

सं० जीएसआर/2/2012/एसटीजीएमपी/डीईडीयूसी/
आर.यू.-III

सेवा में,

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव,
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल
विकास विभाग,
मध्य प्रदेश सरकार, मंत्रालय,
वल्लभ भवन, मंत्रालय
भोपाल
2. कुलपति,
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
भोपाल

छठी मंजिल, 'बी'विंग, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
6TH Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003
दिनांक : 14-07-2015

विषय: मध्य प्रदेश राज्य के राजीव गांधी प्राद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए तकनीक शिक्षा में अयोग्यता (एनएफटीई) नियम हटवाने के संबंध में।

महोदय:-

उपरोक्त विषयक इस आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 26.06.2015 का संदर्भ ग्रहण करें जो कि प्रकरण में चर्चा एवं सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.2015 को अपराह्न 12:30 बजे होने वाली बैठक के संबंध में है।

सूचित किया जाता है कि प्रकरण में दिनांक 15.07.2015 को अपराह्न 12:30 बजे होने वाली बैठक स्थगित कर अब दिनांक 21.07.2015 को पूर्वाह्न 11:30 बजे आयोग मुख्यालय में होगी।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेजों सहित उक्त तिथि दिनांक 21.07.2015 को पूर्वाह्न 11:30 बजे को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेश्वर कुमार)
सहायक निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा सं० 309, निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462011, मध्य प्रदेश को अनुवर्ती कार्रवाई हेतु।
2. श्री सुखदेव सिंह गोंड, 69/5, वल्लभनगर, इंदौर (मध्य प्रदेश) को सूचनार्थ।
3. श्री हेमन्त कुमार मालवीय, संभागीय अध्यक्ष, म.प्र. अनुसूचित जाति-जनजाति छात्र संघ, एफ-2, पत्रकार कालोनी चौराहा, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के सामने, इन्दौर (मध्य प्रदेश) को सूचनार्थ।
4. सुश्री शोभा ओझा, प्रेसीडेंट, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस, 24 अकबर रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ।

Copy to:-

✓ SSA, RICA